इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जनवरी 2011—पौष 29, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 448-19-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १९ जनवरी, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २४ सन् १९७३ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४, सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा १३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

> "परन्तु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मण्डी समिति की अवधि में वृद्धि, ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छह मास की कालावधि के लिए दो बार में अर्थात् अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मण्डी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और ऐसी दशा में धारा ५७ के उपबंध लागू होंगे.".

रामेश्वर ठाकुर
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल
तारीख १८ जनवरी, २०११

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 449-19-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक एक, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 1 OF 2011

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2011.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th January, 2011.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2011.

Madhya Pradesh Act No. 24 of 1973 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

Amendment of Section 13.

3. In sub-section (2) of Section 13 of the principal Act, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that if on the expiry of the term of the market committee, a new marked committee is not constituted, the State Government may, by notification, extend the term of the market committee for a period of six months twice, that is for a maximum period of one year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record, and if the new market committee is not constituted within this extended term, it shall be deemed to have been dissolved and in such an event the provisions of Section 57 shall apply.".

RAMESHWAR THAKUR
Governor
Madhya Pradesh.

Bhopal :
Dated the 18th January 2011.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.